न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/100/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री शम्भूदयाल शर्मा निवासी–ग्राम व पोस्ट–सालेटा, तहसील–थानागाजी, जिला–अलवर (राज0)		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज0)

प्रवेश तिथि : 01.06.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 18.06.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 26.04.2018 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश क्रमांक: एस.डी.एम./2018/1997 दिनांक: 11.04.18 की प्रति एवं अन्य संबंधित कुल 06 बिन्दुओं पर विविध सूचनाओं की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 26.04.2018 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रा0पत्र दिनांक: 29.05.2018 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2018/2255–56 दिनांक: 01.06.18 के माध्यम से तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: एसडीएम/2018/2361 दिनांक: 13.06.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 26.04.2018 के संबंध में पत्रांक: एसडीएम/2018/2345 दिनांक: 04.06.18 के माध्यम से इस आशय की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गई कि आवेदन में वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली जिला कलक्टर, अलवर के कार्यालय में विचाराधीन है, प्राप्त होने पर वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक: 26.04.2018 पर विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध ना होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। प्रत्यर्थी का विनिश्चय उचित है। लेकिन प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अपीलार्थी के

प्रथम आवेदन दिनांकः 26.04.2018 पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर आवेदन को विलम्बित किया है।

9. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर अधिनियम में वर्णित समयावधि में ही विनिश्चय कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

10. प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)